रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2015/ कार्तिक 4, 1937
No. 655] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2015/ KARTIKA 4, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय
(पत्तन स्कंध)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2015

**सा.का.नि. 805(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप–धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) की धारा (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा मुरगांव पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में 30.7.2014 की अधिसूचना सा.का.नि. 548 (अ) के माध्यम से नियुक्त किए गए श्री सेबेशियो कोटिन्हो के स्थान पर मुरगांव पत्तन न्यास के बोर्ड में तैनात श्रमिकों के प्रतिनिधित्व करने वाले श्री एन्थनी जॉन पीटरस को 31.03.2016 तक की अवधि के लिए न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एलबी—11013/7/2013-एल]
बी. पोयामोझी, विकास सलाहकार (पत्तन)

**MINISTRY OF SHIPPIING**

**(Ports Wing)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2015

**G.S.R. 805(E).—** In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub- section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963) the Central Government hereby appoints Shri Anthony John Peters as trustee representing the Labour employed in the Port on the Board of Mormugao Port Trust for the term up

to 31.03.2016 in place of Shri Sebastiao Coutinho who was appointed on the Board of Mormugao Port Trust vide GSR No. 548(E) dated 30.07.2014.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/7/2013-L]
B. POIYAAMOZHI , Development Advisor (Ports)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.